

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 29, सोमवार, शाके 1936-जनवरी 19, 2015 Pausa 29, Monday, Saka 1936-January 19, 2015	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2014

एस.ओ. 236 :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 22क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अध्याय VI-क के प्रयोजनार्थ लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को इसके द्वारा, जन उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित करती है, अर्थात :-

- (i) बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
- (ii) आवासीय सेवाएं; और
- (iii) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवाएं।

[संख्या एफ.8(1)लॉ-2/2014]

राज्यपाल के आदेश से,
दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

